न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 67/2020(2020/00272)

1. अशोक पुत्र उदा।
2. बरमा पुत्री उदा।
3. समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर। —प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र हरलाल।
2. देवलाल पुत्र हजारी।
3. बन्नालाल पुत्र बजरंगलाल।
4. महावीर पुत्र उदाराम।
5. बद्री पुत्र मांगीलाल।
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम जेतपुरा बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।
—अप्रार्थीगण
7. आरामी पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाजटा हाल निवासी सरसडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
—प्रोफोर्मा अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री निर्मल चौधरी– वकील प्रार्थी
2. श्री अब्दुल सलीम गौरी–वकील अप्रार्थी

–:आदेशः–

दिनांक–20.5.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राज0 टिनेन्सी एक्ट व धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निरतारण तक चाही गई। निम्न वर्णित आराजीयात वाके ग्राम बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
9–281	212/2511	0.08	बारानी 2
	213	0.82	बीड
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.90हैक्टर	

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है उक्त आराजी मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व प्रोफोर्मा अप्रार्थीया का 1/2 हिस्सा खातेदारी मे दर्ज है तथा प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा अप्रार्थीया का हिस्से के अनुसार कब्जे काश्त मे चली आ रहा है । उक्त आराजीयात अप्रार्थीगण बिना किसी हक ... र के प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा अप्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कब्जे काश्त की आराजी मे बाधा उत्पन्न कर रहे है व नष्ट भ्रष्ट करने पर उतारू हो रहे है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी मे जबरन काश्त करने पर उतारू हो रहे है जबकि उक्त आराजी मे अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे बाधा उत्पन्न करने का कोई हक व अधिकार नहीं है उक्त आराजी मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है व प्रोफोर्मा अप्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है तथा प्रोफोर्मा अप्रार्थीया अपने ससुराल मे रहती है और अप्रार्थीगण बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी बाबत लडाई झगडा करते रहते है तथा सीमाज्ञान सम्बन्धित विवाद पैदा करते रहते है अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें प्रार्थीगण से उक्त आराजीयात के बाबत लडाई झगडा नहीं करे न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे प्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल हो । अप्रार्थी संख्या 6 लेण्डलोर्ड है तथा उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान सम्बन्धी विवाद तय करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 6 को है इसलिए अप्रार्थी संख्या 6 को पक्षकार बनाया गया है । प्रार्थीगण का केस प्राईमाफेसाई केस है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है । अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण उनके नोकर चाकर हाली सीरी सगे सम्बन्धि आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले न ही ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे प्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल हो। अप्रार्थी संख्या 6 को निर्देश देवे कि प्रार्थीगण व प्रोफोर्मा अप्रार्थीया की आराजीयात का सीमाज्ञान करवा कर सम्भलाई जाने का निवेदन प्रार्थना पत्र में किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम व्यादेश बाबत सुना गया। प्रकरण मे कानूनी बिन्दू निहित होने से अप्रार्थीगण जरिये अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया गया। कि प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग, कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे। तथा अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब पेश नही किया अतः जवाब बंद किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब प्राप्त नही हुआ उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब बंद किया गया। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी पाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की आराजीयात वाके ग्राम बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर के खाता संख्या नया–पुराना 9–281 कें कुल किता 2, कुल रकबा 0.90हैक्टर पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नही डाले न ही ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे प्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner